



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 126729

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2340 वर्ष 2026

नेकपाल

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : ए.टी. पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : दान बहादुर, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची में पुनरीक्षण किया गया।
2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री ए.टी. पांडे की बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुनी गई; साथ ही, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता श्री दान बहादुर और राज्य/प्रतिवादी पक्ष संख्या 1 के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिवक्ता श्री राम प्रकाश शुक्ला (जो न्यायालय में मौजूद थे) की बात भी सुनी गई और रिकॉर्ड देखा गया।

3. प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के अधिवक्ता का कहना है कि हालांकि उन्हें 28.04.2026 के आदेश के तहत काउंटर एफिडेविट (जवाब-हलफनामा) दाखिल करने के लिए समय दिया गया था, लेकिन वे कोई काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं करना चाहते हैं। इसलिए, न्यायालय मामले की सुनवाई आगे बढ़ाती है।

4. एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता नेकपाल द्वारा दायर की गई है। इसमें अपील को मंजूर करने और विशेष परीक्षण संख्या 108/2025 (नेकपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) - मुकदमा अपराध संख्या 253/2025, जो बीएनएस की धाराओं 333, 115(2), 352, 351(2), 109, 3(5) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन, ज़िला रामपुर में दर्ज है - में अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

5. इस मामले में 03.07.2025 को बबलू ने अपीलकर्ता और रामवीर के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई। आरोप है कि 02.07.2025 को रात करीब 8:30 बजे नेकपाल नशे की हालत में घर आया और गाली-गलौज करने लगा और पूरे समुदाय को धमकी दी। गालियां सुनकर उसकी लगभग 65 साल की माँ बाहर आई और उसे रोकने की कोशिश की, जिस पर वह भड़क गया और अपने भाई रामवीर को बुला लिया। इसके बाद दोनों आरोपी लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए और उसकी माँ को गालियां दीं और जातिसूचक शब्द कहे। उन्होंने लाठी, डंडे और ईंटों से उस पर हमला किया,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिससे उसे कई चोटें आईं। पड़ोसियों ने बीच-बचाव करके उसे बचाया, वरना कोई अनहोनी घटना हो सकती थी। रिपोर्ट दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए।

6. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। यह बताया गया है कि श्रीमती कमलेश की मेडिकल जाँच की गई और उन्हें जो चोटें आईं, उनका विवरण इस प्रकार है:

1- माथे पर मांसपेशियों तक गहरा घाव (3सीएम X 0.5सीएम); खोपड़ी का एक्स-रे(एपी/एलटी) करवाने की सलाह दी गई।

2- दाहिनी कलाई के जोड़ से 3सीएम ऊपर, दाहिने अग्रबाहु पर घाव (1सीएम X 0.5सीएम)।

3- दाहिनी कलाई के जोड़ से 5सीएम ऊपर, दाहिने अग्रबाहु पर खरोंच (2सीएम X 1सीएम)।

4- नाक पर चोट/सूजन (3सीएम X 2सीएम); नाक का एक्स-रे(एपी/एलटी) करवाने की सलाह दी गई; पूरे शरीर में दर्द की शिकायत।

राय

ऊपर बताई गई चोटें 1, 2 और 3 साधारण किस्म की और ताज़ा हैं, जो किसी कठोर और कुंद (बिना धार वाली) चीज़ से लगी हैं। चोट 4 भी ताज़ा है और किसी कठोर और कुंद चीज़ से लगी है। नाक का एपी/एलटी एक्स-रे कराने की सलाह दी गई है।

ऊपर बताई गई चोट के लिए खोपड़ी का एपी/एलटी एक्स-रे करवाने की सलाह दी गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. यह बताया गया है कि चोट संख्या 1 और 4 के एक्स-रे के बाद एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें खोपड़ी और नाक के एक्स-रे में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई और इसलिए यह राय दी गई कि दोनों चोटें मामूली प्रकृति की हैं। यह कहा गया है कि इस प्रकार घायल व्यक्ति को लगी चोटें मामूली प्रकृति की थीं। यह बताया गया है कि एफ.आई.आर. में ईंटों से हमला करने का आरोप भी लगाया गया है, लेकिन जांच के दौरान घायल व्यक्ति ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा। यह भी कहा गया है कि अपशब्द कहने और जाति-सूचक गालियां देने के बारे में यह कहा गया था कि यह सब घर के अंदर हुआ था, और इसलिए वे आरोप मनगढ़ंत हैं। आगे यह भी कहा गया है कि एफ.आई.आर. में लाठी, डंडे और ईंटों के इस्तेमाल का जिक्र है, लेकिन बाद में घायल व्यक्ति ने अपने बयान में लोहे की रॉड से हमला किए जाने की बात कही, जो कि बयान में बाद में जोड़ी गई नई बात है। इसके अलावा, यह बताया गया है कि सह-आरोपी रामवीर को इस न्यायालय की एक समान बेंच ने क्रिमिनल अपील संख्या 8111/2025 (रामवीर बनाम यू.पी. राज्य और अन्य) में 17.12.2025 को पारित आदेश के तहत जमानत दे दी है; आदेश की कॉपी अपील के समर्थन में दिए गए हलफनामे के साथ एनेक्शर 2 के रूप में संलग्न है। अपीलकर्ता का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जैसा कि हलफनामे के पैरा 17 में बताया गया है, और वह 18.07.2025 से जेल में है।

8. इसके उलट, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 और राज्य के अधिवक्ता ने अपील में जमानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि घायल महिला ने बताया है कि अपीलकर्ता ने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया था, लेकिन रॉड उसके सिर पर नहीं लगी; इसके बजाय, उसे नाक और माथे पर चोट आई और वह बेहोश हो गई। यह कहा गया है कि इस मामले में अपीलकर्ता की संलिप्तता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह साफ है कि घायल व्यक्ति को लगी चोटें मामूली किस्म की बताई गई हैं। एफ.आई.आर. में कहा गया है कि घायल पर लाठी, डंडे और ईंटों से हमला किया गया था, जबकि अपने बयान में उसने लोहे की रॉड से हमले की बात कही है; ऐसा लगता है कि यह बात बाद में सोची-समझी गई है। सह-आरोपी रामवीर को ज़मानत मिल चुकी है।

10. इस मामले के तथ्यों और हालात, सबूतों की प्रकृति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना का संकेत देने वाली किसी ठोस सामग्री की कमी को देखते हुए, यह न्यायालय मानती है कि अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।

11. अपीलकर्ता - **नेकपाल** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करने पर, ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या वाले मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए। यह रिहाई न्याय के हित में लगाई गई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

i) अपील करने वाला व्यक्ति अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाएगा या परेशान करेगा।

ii) अपील करने वाला व्यक्ति न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, हर तारीख पर न्यायालय में पेश होगा और मुकदमे के निस्तारण में किसी भी तरह की देरी नहीं करेगा।

(iii) अपील करने वाला व्यक्ति यह लिखित वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने (स्थगन) की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(iv) अपील करने वाला व्यक्ति ज़मानत की आज़ादी का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं करेगा। अगर अपील करने वाला व्यक्ति मुकदमे के दौरान ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस की धारा 84/सीआर.पी.सी. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि अपील करने वाला व्यक्ति ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार बीएनएस की धारा 209/ आई.पी.सी. की धारा 174-ए के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(v) अपील करने वाले को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा: (1) केस शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सेक्शन 251 बीएनएसएस/313 सीआर.पी.सी. के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि अपील करने वाले की गैर-मौजूदगी जानबूझकर है या बिना किसी ठोस वजह के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है; साथ ही, विचारण न्यायालय सेक्शन 269 बीएनएस/229-ए भारतीय दंड संहिता के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

(vi) विचारण न्यायालय अपील करने वाले की रिहाई के बाद विचारण को जल्द से जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश कर सकती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. ज़मानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और रिहायशी पते के सबूत की जाँच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी और अगर ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो संबंधित न्यायालय ज़मानत रद्द करने और अपील करने वाले को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

13. इस प्रकार, अपील सफल होती है और इसे मंज़ूर किया जाता है।

14. रामपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) द्वारा 05.02.2026 को पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

11 जून, 2026

एम. आरिफ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।